कार्यालयः– जिला पशुपालन पदाधिकारी,शिवहर

अल्पकालीन निविदा–सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आपदा (बाढ/सुखाड़) की स्थिति में वित्तीय वर्ष– 2018–19 में शिवहर जिला अन्तर्गत सभी प्रखण्डों में पशुओं के लिए सूखा चारा यथा गेंहूँ का भूसा एवं कूटी (पुआल–नेवारी) का दर/आपूर्तिकर्ता के निर्धारण के लिए समाचार पत्र एवं विभागीय/जिला के बेवसाईट के माध्यम से निविदा की मांग की गई थी अंतिम तिथि 24.5.2018 को 3 बजे अपराहण तक एक भी निविदा प्राप्त नही हुआ इस स्थिति में पुनः मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है जिसके अन्तर्गत मुहरबन्द दो लिफाफा में निविदा जमा करना होगा जिसमें एक लिफाफा में वित्तीय एवं दुसरे लिफाफा में तकनीकी निविदा रहेगा। दोनो लिफाफा एक बड़ा लिफाफा में बन्द होगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का हीं वित्तीय निविदा खोला जायेगा। निविदा दिनांक–29.06.2018 को 3:00 बजे अपराहण तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जाएगी। और उसी दिन अपराहण 4:00 बजे निविदा खोली जायेगी,जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते है। सूखे चारा का क्रय आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार सम्बंधित पदाधिकारी द्वारा ही दिया जाएगा एवं भुगतान भी उन्ही के स्तर से किया जाएगा।

तकनीकी भाग (क)

1. निविदा के साथ 5000 (पाचँ हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट(जो जिला पशुपालन पदाधिकारी,शिवहर के पक्ष में एवं शिवहर में देय हो) जमा करना अनिवार्य है। इस निविदा में असफल निविदादाता को अग्रधन की राशि क्रय समिति के निर्णय के पश्चात वापस कर दी जाएगी।
2. निविदा द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सूखे चारे का 200 ग्राम नमुने के रुप में (जो पारदर्शी प्लास्टिक में नाम, पता के साथ मुहरबंद हो) निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
3. निविदा में सूखा चारा यथा गेंहूँ का भूसा एवं कुटी (पुआल/नेवारी) का प्रति क्विंटल दर (आपूर्ति आदेश में अंकित स्थान तक तौलवाकर एवं रखवाकर) अंकित रहना अनिवार्य है। उक्त अंकित दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नहीं होगा।
4. आपूर्ति किये जाने वाले सूखा चारा निविदा के साथ जमा किये गये नमुने के अनरुप नहीं होने पर आपूर्ति नहीं ली जाएगी।
5. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर आपूर्ति नहीं देने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायगी।
6. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी मानी जाएगी।
7. आपूर्ति आदेश के अनुसार सूखा चारा की आपूर्ति करने की सूचना न्युनतम एक दिन पूर्व देनी होगी।
8. एक से अधिक निविदादाताओं का एक ही दर स्वीकृत होने पर सम्बंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता या सभी को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. निविदा सूचना वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in या वेबसाइट www.shoehar.nic.in पर देखी जा सकती हैं। विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन कार्यालय शिवहर से प्राप्त की जा सकती है।
11. विगत एक वर्ष का आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता को बिहार या बिहार के बाहर काली सूची में दर्ज नहीं होने एव्ं निविदा के सारे शर्त मंजुर होने संबंधी शपथ–पत्र देना होगा।

वित्तीय भाग (ख)

1. निविदादाता को सीलबंद लिफाफे में सूखा चारा यथा गेंहूँ का भूसा एवं कूटी पुआल–नेवारी का दर प्रति क्वींटल के दर से भाड़ा सहीत अलग–अलग देना अनिवार्य होगा।

09.06.18

जिला पशुपालन पदाधिकारी
शिवहर।